न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57 / 2022 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद मैनेजर, मैसर्स सुनित ट्रेडर्स गीजगढ रोड सिकन्दरा चौराहा दौसा।

— अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26की उपधारा 2(II)(V) एवं
दण्डनीय धारा 51 व 52 एफएसएस रूल्स 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामस्वरूप गुप्ता स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 15.03.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 53 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 6.10.2022 को 12:10 PM पर मैसर्सः—सुनित ट्रेडर्स गीजगढ रोड सिकन्दरा चौराहा दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद को अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर श्री रामस्वरूप गुप्ता ने स्वयं को मैसर्सः— सुनित ट्रेडर्स गीजगढ रोड सिकन्दरा चौराहा दौसा का मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री रामस्वरूप गुप्ता की उपस्थिति में मैसर्सः— सुनित ट्रेडर्स गीजगढ रोड सिकन्दरा चौराहा दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थो के साथ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड **(Semolina Shree Gold Star Brand)** 500—500 ग्राम के पैकिट आम जनता को विक्रय करने हेतु 6 प्लास्टिक के कट्टे में 20—20 पैकिटो रखी हुई थी। जिनका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री रामस्वरूप गुप्ता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये श्री रामस्वरूप गुप्ता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री रामस्वरूप गुप्ता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड **(Semolina Shree Gold Star Brand)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 6 प्लास्टिक के कट्टो में से एक सील पैक प्लास्टिक के कट्टे का चयन कर नियमानुसार खोल कर उसमे से 500—500 ग्राम के चार पैकिट साफ प्रिन्टेड सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड **(Semolina Shree Gold Star Brand)** का वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री रामस्वरूप गुप्ता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 74/—(अक्षरे चौहत्तर रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम चार नग कुल 2 किलोग्राम सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) को श्री रामस्वरूप गुप्ता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खाद्य पदार्थ को 500–500 ग्राम को बराबर–बराबर अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी–3069 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री रामस्वरूप गुप्ता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3069 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री रामस्वरूप गुप्ता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री नीतेश सोनी आईईसी कॉर्डिनेटर कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 7.10.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 7.10.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /727/एक्ट/2022/727 दिनांक 17.10.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता श्री रामस्वरूप गुप्ता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) एवं 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण अमानक (Substandard) व मिथ्याछाप (MisBranded) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त न्यायालय में नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./727/एक्ट/2022/727 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) के नमूने में **Ash insoluble in dil. HCl(on dry weight basis)** 0.13 प्रतिशत(तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण) अमानक (Substandard) स्तर का एवं उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर EXPIRY/USE BY DATE अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं होने के कारण मिथ्याछाप (MisBranded) स्तर का पाया गया है। हमारे द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) का वारन्टी बिल मांगे जाने पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा वारन्टी बिल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त अमानक (Substandard) व मिथ्याछाप (MisBranded) खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी अभियुक्त को उचित जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी अभियुक्त नियत पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित आये एवं बहस के दौरान निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा विक्रय किया गया यह खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) में हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। लेबल पर नियमों की जानकारी के अभाव में हमारे द्वारा EXPIRY/USE BY DATE अंकित नहीं किया गया था। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 727 / एक्ट / 2022 / 727 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) एवं 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण अमानक (Substandard) व मिथ्याछाप (MisBranded) स्तर का पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (Substandard) व मिथ्याछाप (MisBranded) स्तर का खाद्य पदार्थ सूजी श्री गोल्ड स्टार ब्राण्ड (Semolina Shree Gold Star Brand) विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद मैनेजर, मैसर्स सुनित ट्रेडर्स गीजगढ रोड सिकन्दरा चौराहा जिला दौसा पर 10000 / – (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 15.03.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः– .03.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद मैनेजर, मैसर्स सुनित ट्रेडर्स गीजगढ रोड सिकन्दरा चौराहा दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा